न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

तारीख रजू– 20.09.2017

प्र0न0 4/2017

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

रघुनाथ पुत्र गंगाधर गूर्जर निवासी ढाणीसैनपुर कमालपुरा तहसील टोडाभीम

वादीगण

बनाम

1. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत कमालपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
2. भगवानी पत्नि अतरसिंह जाति गूर्जर निवासी चन्दवाड तहसील टोडाभीम।
3. लखनबाई पत्नि कल्याणसिंह जाति गूर्जर निवासी चन्दवाड तहसील टोडाभीम।

प्रतिवादीगण

अपील विरूद्व नामांतकरण स0 945, 944 दिनांक:– 5.4.2017 ग्रम पंचायत कमालपुरा
उपस्थिति:– श्री सुरेशचन्द शर्मा (अपीलांट)
श्री मनोज शर्मा (रेस्पोन्डेन्ट 2,3)

निर्णय दिनांक:– 3-6-19

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलांट की ओर से ग्राम पंचायत कमालपुरा द्वारा निर्णित नामांतकरण 945, 944 दिनांक 5.4.2017 के विरूद्व अपील इस प्रकार प्रस्तुत की है कि ग्रम कमालपुरा स्थित आराजी ख0न0 2477 रकवा 1.90 है0, 2479 रकवा 0.50 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 2.40 है0 भू–प्रबन्ध कर्मचारीयो ने साबिक ख0न0 2003/2/2 से बना कर अंकित किए है साबिक ख0न0 2003/2/2 रकवा 9 बीधा 10 विस्वा पूर्व मे जगदीश महाजन के नाम था। उनके द्वारा अपीलांट के ससुर किशन्या पुत्र रामचन्द को बेचान कर दिया किशन्या अपने पैतृक गॉव को छोडकर कैलई चले गये और आराजी को अपीलांट की पत्नि केशूला के नाम बेचान कर गये और कागजात संभलाकर कब्जा अपीलांट को संभलादिया। किशन्या के जीवनकाल मे कोई विवाद किसी प्रकार का नही था। उक्त आराजीयात अपीलांट पत्नि व पुत्रो के साथ काश्त करते चले आ रहे है और काबिज एवं दखील है आज भी काश्त कर रहे है। अपीलांट के ससुर किशन्या के फौत हो जाने के बाद विवादग्रस्त आराजीयात उनके तीन पुत्रो कमोद, रामसिंह, रामजीलाल के नाम आ गई। रामजीलाल के फौत हो जाने के बाद पुत्र व पुत्री के नाम आई। रामजीलाल के जीवनकाल को कोई समस्या नही हुई। कमोद व रामजीलाल के वारिसान के द्वारा बिना कब्जे व बिना प्रतिफल के उक्त आराजी का बेचान रेसपोन्डेन्ट न0 2 व 3 के हक मे कर दिया रेसपोन्डेन्ट न0 1 को भलीभाती जानकारी थी कि विवादग्रस्त आराजीयात पर रेसपोन्डेन्ट न0 2 व 3 का कब्जा नही रहा नाही रेसपोन्डेन्ट न0 2 व 3 से पूर्व कमोद व रामजीलाल के वारिसो का कब्जा था। इसके वावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा नामांतकरण संख्या 944, 945 रेसपोन्डेन्ट न0 2 व 3 के हक मे तस्दीक कर कानूनी भूल की है इसलिये अपील मंजूर फरमाये जाने योग्य है। रेस्पोन्डेन्ट न0 1 द्वारा रेसपोन्डेन्ट न0 2 व 3 से सांज करके गलत रूप से नामांतकरण तस्दीक किया गया है जिसकी कोई जानकारी रेसपोन्डेन्ट के द्वारा नही दी गई इसलिए अपील मंजूर किया जाना योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर नामांतकरण संख्या 945, 944 दिनांक 5.4.17 ग्रम पंचायत कमालपुरा निरस्त किया जाकर अपीलांट की खातेदारी फरमाई जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपोन्डेन्ट जरिए नोटिस तलब किया गया। रेसपोन्डेन्ट न0 1 वावजूद सूचना उपस्थित नही हुए रेस्पो0 2 व 3 जरिए वकालतान उपस्थित हुए। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मे वर्णित तथ्यो के दौरान

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

कथन किया कि अपीलांट के ससुर द्वारा बेचान किए समय से ही काबिज एवं दखील है अपीलांट का पूरी जमीन पर कब्जा है। रेसपोन्डेन्ट को कब्जे की जानकारी होते हुए भी उक्त आराजीयात खरीद की है अतः अपील स्वीकार की जाकर नामांतकरण खारिज किया जावे। वकील रेसपोन्डेन्ट न0 2 व 3 ने बहस मे कथन किया कि हिस्सा 2/3 बेचान से जमीन आ गई है। कब्जाकाश्त के संबध मे अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। कब्जे वावत रिपोर्ट तहसीलदार टोडाभीम दिनांक 20.7.17 एवं 13.7.18 स्पष्ट है कि कब्जा रेस्पो0 2 व 3 का हिस्सा 2/3 पर है। विक्रय पत्र मे भी कब्जे के आदान प्रदान का उल्लेख किया हुआ है। मौके पर यथास्थिति परिवर्तन के संबध मे दिनांकः–17.5.17 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। द्वितीय प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 20.5.17 को कराई गई। अपील मियाद बाहर है। मुकदमा उनवानी भगवानी देवी बनाम रधुनाथ वगै0 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेघाज्ञा निर्णय दिनांक 17.5.17 उक्त वर्णित आराजीयात पर अपीलांट रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनकर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे अपीलांट की और से कब्जे के संबध मे विवादित आराजीयात को कब्जे को लेकर कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया है। रेस्पो0 2 व 3 की और से प्रस्तुत दोनो विक्रय पत्र दिनांक 28.03.2017 से आराजी ख0न0 2477 रकवा 1.90 है0, 2479 रकवा 0.50 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 2.40 का 2/3 हिस्सा रेस्पो0 2 व 3 की खरीद शुदा आराजी है। विक्रय पत्रो मे विक्रित भूमि पर क्रेती रेस्पो0 2 व 3 को कब्जा संभलाने का स्पष्ट उल्लेख है। तहसीलदार टोडाभीम की मौका रिपोर्ट दिनांक 13.03.2018 व 20.07.2018 से भी हिस्सा 2/3 भूमि पर रेस्पो0 2 व 3 का कब्जा माना गया है। उक्त वर्णित आराजीयात मे हिस्सा 2/3 पर रेस्पो0 2 व 3 का ही कब्जा है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.6.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

3/6/19

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज0

Scanned by CamScanner